कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 42/2024

परिवादी :– श्री रविन कुमार पुत्र स्व0 दयाराम, मोहल्ला कोटरावान, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम आदेश दिनांक 27.06.2024

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीष उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादपत्र के तथ्य– परिवादी श्री रविन कुमार पुत्र स्व0 दयाराम, मोहल्ला कोटरावान, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– JW40740048926 के सन्दर्भ में परिवाद कागज स0–1 मय संलग्नक कागज स0–2 ता 5 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार संक्षिप्त में कथन है कि उनके विरुद्व रू0 58000.00 का बिल बकाया होने के कारण कनेक्षन काट दिया गया था और उनका मीटर भी उतार लिया गया था। प्रार्थी परिवादी ने अपना बिल 2021 मे रू0 50000.00 जमा कर दिये थे, उसके बाद वह बहुत बार बिजली घर जाकर निवेदन किया कि उनका मीटर लगाकर कनेक्शन चालू किया जाये तथा लिखित में भी प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी प्रति संलग्न है। अब वर्ष अक्टूबर 2023 मे उनका मीटर लगाया गया और उसका बिल बहुत ज्यादा आया है। प्रार्थी परिवादी ने मंच से बिल को सही करवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी का जवाब – विभाग की ओर से दिनांक 4.4.24 को अपना जवाब कागज स0–10 (मय सलग्नक कागज स0–10 ता 19) के द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि परिवादी ने दिनांक 30.09.2021 को रू0 50,000.00 जमा किराये गये थे जिसके बाद उक्त द्वारा Unmetered विद्युत का उपभोग किया गया, क्योकि इनके परिसर से पूर्व में उतारा गया मीटर नही मिला। उपखण्ड कार्यालय पत्रांक 870 दिनांक 22.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) को उक्त के परिसर पर मीटर स्थापित करने हेतु सहायक अभियन्त्रा (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला मायापुर, हरिद्वार को पत्र प्रेषित किया गया तथा दिनांक 09.10.2023 को इनके परिसर पर नया मीटर स्थापित किया गया। 2020 में उपभोक्ता पर रू0 59677.00 बकाया था। उपभोक्ता द्वारा माह सितम्बर 2021 में रू0 50000.00 जमा कराये गये। माह अक्टूबर 2023 में एन.आर. पर विद्युत बिल निर्गत किया गया।

–:विवेचना:–

मंच द्वारा विभिन्न तिथियो में पक्षकारो को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं शिकायत के तथ्यो व वाद बिन्दुओ पर विचारण किया गया।

1. यहकि मंच द्वारा दिनांक 10.4.2024 को आदेश पारित कर विपक्षी को निर्देशित किया कि वह अस्थाई विच्छेदन सें नये मीटर की स्थापना के मध्य परिवादी के संयोजन पर विद्युत आपूर्ति की स्थिति से मंच को अवगत कराये जिसके लिए तिथि 23.04.2024 नियत की गई। नियत तिथि को आदेश का अनुपालन न करने पर मंच की ओर से कागज स0–21 विपक्षी को प्रेषित कर आदेश अनुपालन दो दिन

क्रमशः......2

मे करने का निर्देश विपक्षी को दिया। जिसके जवाब में विपक्षी ने कागज स0—25 मय संलग्नक कागज स0—26,27 प्रस्तुत कर कथन किया कि 'उपभोक्ता द्वारा संयोजन स0—JW4074004848926 के सापेक्ष दिनांक 30.09.2021 को रुपये 50000/— जमा कराये थे जिसके बाद इनके द्वारा Unmetered विद्युत का उपभोग किया गया। दिनांक 09.10.2023 को संयोजन संख्या के सापेक्ष इनके परिसर पर नया मीटर स्थापित किया गया। Unmetered विद्युत का उपभोग के कथन पर मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि उक्त कथनो को शपथपत्र द्वारा प्रमाणित करे। विपक्षी को बार—बार लगातार दिनांक 15.05.2024, 29.05.2024, 30.05.2024, 06.06.2024 का अवसर दिये जाने के बाबजूद विपक्षी की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया। उक्त से विपक्षी की गम्भीरता व ईमानदारी का संदिग्ध होना प्रमाणित है।

1. यहकि विपक्षी द्वारा अपने जवाब मे परिवादी के परिसर से मीटर का उतारा जाना स्वीकार किया है परन्तु मीटर कब उतारा गया, क्यूं उतारा गया, मीटर कहां गया, विपक्षी को नही पता, कोई रिकार्ड विपक्षी के पास नही है। अस्थाई विच्छेदन के समय मीटर उतारे जाने का आधार भी विपक्षी के पास नही है। अस्थाई विच्छेदन किये जाने का दिनांक भी विपक्षी के पास नहीं है। मीटर उतारे जाने के लिए विपक्षी द्वारा की गई किसी कार्यवाही का विवरण भी पिकार्ड पर नही है। बावजूद उक्त के विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कन्जूमर हिस्ट्री (कागज स0—14) में परिवादी परिसर में मीटर का बदले जाने का दिनांक 09.10.2023 में पुराने मीटर का उतारा जाना दर्शाया गया है जोकि विपक्षी द्वारा कूटरचित है तथा विपक्षी विभाग की कार्यशैली व्यवस्था को शर्मसार करने वाला कृत्य है जिससे स्पष्ट होता है विपक्षी का रिकार्ड अविष्वसनीय है।
2. यह तथ्य निर्विवादित है कि मीटर उतारे जाने के समय अक्तुबर 2020 में परिवादी की ओर विपक्षी के रु0 59,677/—बकाया थे जिनमे सें परिवादी ने रुपये 50,000/— का भुगतान विपक्षी को दिनांक 30.09.2021 को अदा कर दिया गया है। यह तथ्य भी निर्विवादित है कि दौरान वाद परिवादी ने विपक्षी को रुपये 25000/— दिनांक 30.03.2024 को अदा किये है।
3. यहकि विपक्षी विभाग का यह कथन करना कि परिवादी द्वारा Unmetered विद्युत का उपभोग किया गया अत्यन्त गैर जिम्मेदार कथन है क्योकि Unmetered विद्युत का उपभोग कानून नही किया जा सकता है और यदि ऐसा था तो विभाग ने कार्यवाही क्यों नही की । तथ्यो से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यो का उचित निर्वहन नही किया गया और अपनी भूल व लापरवाही को स्वीकार न करके परिवादी को ही चोर साबित करने पर आमादा है जिसका कोई आधार विपक्षी विभाग के पास नही है। इस प्रकार के आचरण से जन सामान्य में विभाग की छवि को भी क्षति पहुँचती है।

यहकि बकाया वसूली के सम्बंध में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति सहिंता 2020 के अध्याय 6.1 के अनुसार — अनुज्ञापी के देयों का भुगतान न करने पर विच्छेदन—(1) अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ता को जारी किये गये बिल को बिल—सह—विच्छेदन नोटिस के रुप मे माना जायेगा। बिल—सह— विच्छेदन नोटिस का आशय है कि अनुज्ञापी अपने देयों के भुगतान हेतु बिल की तिथि से कम से कम 15 दिन का समय देगा तथा नियत तिथि के बाद, अनुज्ञापी अधिनियम की धारा 56 के अनुसार उपभोक्ता को विच्छेदन के लिए 15 दिन का समय देगा। इसके पष्चात् उक्त नोटिस अवधि की समाप्ती पर अनुज्ञापी उपभोक्ता की स्थापना के सेवा लाईन/ संयोजन को वितरण मेन से अस्थायी रुप से विच्छेदित कर सकता है यदि उपभोक्ता पिछले बकाया सहित सभी देयो का भुगतान अस्थायी विच्छेदन की तिथि से 6 माह के भीतर नही करता है,तो ऐसे संयोजन को उपभोक्ता के परिसर मे स्थापित किये गये मीटर तथा अन्य उपकरणो को हटाकर स्थायी रुप से काट दिया जायेगा। उपभोक्ता पर अन्तिम देय राशि व उस पर देय ब्याज का समायोजन सुरक्षा जमा से किया जाएगा तथा अवशेष वसूली योग्य राशि लागू राजस्व वसूली कानूनो के अनुसार की जायेगी। परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति प्रतिवाद के तहत जमा करता है तो विद्युत की आपूर्ति काटी नही जायेगी:—

क्रमश.......3

(a) उस पर अधिरोपित राशि के बराबर की राशी, या

(b) पूर्ववर्ती छह महीनो के दौरान उसके द्वारा भुगतान किये गये विद्युत के औसत प्रभारो के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक माह के लिए उससे प्राप्त विद्युत प्रभार, उपभोक्ता तथा अनुज्ञापी के मध्य उपरोक्त विवाद के निपटारा होने तक जो भी कम हो।

परन्तु जहॉ किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिभूति अमान्य हो या अपर्याप्त हो, वितरण अनुज्ञापी नोटिस देकर उस व्यक्ति से 30 दिनो के भीतर उचित प्रतिभूति जो उस पर देय हो जमा करने की अपेक्षा कर सकता है तथा यदि वह व्यक्ति इंगित प्रतिभूति देने मे विफल हो जाये, वितरण अनुज्ञापी यदि उचित समझे तो उस अवधि के लिए विद्युत आपूर्ति बंद / विच्छेदित कर सकता है जब तक कि विफलता बनी रहती है।

उक्त प्रावधान का विपक्षी द्वारा अनुपालन किया गया हो ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नही है।

4. विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी से दिनांक 30.9.2021 को 50000 / — रुपये की रकम प्राप्त करने के बावजूद परिवादी के कनेक्शन को पुनः चालू न करने का कृत्य उपभोक्ता उत्पीडन की श्रेणी में आता है। विपक्षी विभाग को अपने कर्मचारियो की कार्यशैली पर उचित ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। मंच अपेक्षा करता है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही होगी।

5. उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत यह तथ्य निर्विवादित है कि मीटर उतारे जाने के समय अक्तुबर 2020 में परिवादी की ओर विपक्षी विभाग के रु0 59,677 / —बकाया थे जिनमे सें परिवादी ने रुपये 50,000 / — का भुगतान विपक्षी को दिनांक 30.9.2021 को अदा कर दिया गया है। यह तथ्य भी निर्विवादित है कि दौरान वाद परिवादी ने विपक्षी को रुपये 25000 / — दिनांक 30.3.2024 को अदा किये है। विपक्षी द्वारा दिनांक 9.10.2023 को परिवादी परिसर में पुनः कनेक्शन संयोजित कर नया मीटर स0—यू871478 स्थापित करना कागज स0—10 व 14 में स्वीकार किया गया है।

उक्त स्थिति में मंच की राय में परिवादी से अक्तुबर 2020 से दिनांक 9.10.2023 तक की अवधि का विद्युत बिल चार्ज किया जाना न्याय संगत नही है। परिवादी का विद्युत बिल की गणना दिनांक 9.10.2023 से जारी किया जाना उचित है जिसमें अक्तुबर 2020 का पिछला बकाया सम्मिलित किया जाकर परिवादी द्वारा अदा की गई रकम को समायोजित करते हुए नया विद्युत बिल का जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी विद्युत बिल स0—812231230119707(कागज स0—11) को निरस्त किया जाता है। विपक्षी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी के विद्युत बिल की गणना दिनांक 9.10.2023 से संस्थापित मीटर की रिडिंग के आधार पर नियमानुसार की जाकर उसमें अक्तुबर 2020 का बकाया बिल रुपये 59677 / — सम्मिलित किया जाये तथा परिवादी द्वारा अदा की गई रकम रुपये 75,000 / —को बिल धनराशि में समायोजित करते हुए नया एवं वर्तमान विद्युत बिल तैयार कर परिवादी को जारी किया। उक्त विद्युत बिल में कोई विलम्ब भुगतान शुल्क (LPS) न लिया जाये। आदेश का अनुपालन आदेश दिनांक से 30 दिन के भीतर हो। आदेश अनुपालन की सूचना आदेश अनुपालन दिनांक से 7 दिन के भीतर मंच को दी जाये। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	27/6/2024 (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 56 / 2024

परिवादी :– श्री दानिश पुत्र श्री जफर अहमद, ग्राम–पठानपुरा, मरगुब कुरेशी कालोनी, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक 27.06.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दानिश पुत्र श्री जफर अहमद, ग्राम–पठानपुरा, मरगुब कुरेशी कालोनी, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की ने विद्युत संयोजन संख्या RDOK000552748 के सन्दर्भ में परिवाद पत्र कागज स0–1 मय सलग्नक कागज स0–2 ता 6 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसका यह कनेक्शन के0सी0सी0 सं0–552748 है जिसके बिलों को जनवरी, फरवरी व मार्च 2024 के ठीक करने के लिए उसका मीटर दिनांक 08.01.2024 को बदला गया था मीटर सं0–09545661 तब से उसका बिल गलत आ रहा है जबकि उसके मीटर मे 763 रीडिंग है। अतः उसने मंच से उसका बिल उसके मीटर रीडिंग के अनुसार सही करवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2298 दिनांकित 13.05.2024 (कागज स0–10 मय संलग्नक कागज स0–11 ता 16) द्वारा मंच को अवगत कराया कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी0के000552748 श्री दानिश पुत्र श्री जफर अली के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 01 कि0वा0 दिनांक 28.08.1987 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन के सम्बन्ध मे सम्बन्धित लेखाकार (राजस्व) द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन के सापेक्ष परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या ए9545661 की एमआरआई के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 30065.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

–:विवेचना:–

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने उपस्थित होकर व परिवादी को फोन पर सुना गया। विपक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा परिवादी का विद्युत बिल सही कर दिया है तथा वर्तमान मे विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 30065.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परिवादी की ओर से किये गये उक्त संशोधन पर सन्तुष्टि व्यक्त की गई। तदोनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

क्रमशः.........02

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत बिल रुपये 30065.00 में संशोधित कर शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी की ओर से किये गये उक्त संशोधन पर सन्तुष्टि व्यक्त की गई। तदोनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

27/6/24
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 62 / 2024

परिवादी :– श्रीमती रहीसा पत्नी श्री अकबर, निकट–मक्का मस्जिद, सुभाषनगर, बाबर कालोनी, पांव धोई, ज्वालापुर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम — आदेश दिनांक 27.06.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्रीमती रहीसा पत्नी श्री अकबर, निकट–मक्का मस्जिद, सुभाषनगर, बाबर कालोनी, पांव धोई, ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या JW30743113231 घरेलू कनेक्शन के सन्दर्भ में कागज स0–1 मय संलग्नक कागज स0–2 ता 6 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवादी ने बिल ठीक करवाने हेतु उपखण्ड कार्यालय आर्यनगर में भी कई बार संपर्क किया लेकिन उसका विद्युत बिल ठीक नहीं हो पाया जिसके बाद प्रार्थीया ने 23.03.2023 को विद्युत वितरण खण्ड ज्वालापुर को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन एक वर्ष गुजरने के बाद भी उसका विद्युत बिल ठीक नही हुआ है। प्रार्थिया ने दिनांक 26.03.2024 को भी एक प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता को दिया गया था लेकिन फिर भी उसका विद्युत बिल ठीक नही हुआ है, उसने दिनांक 21.03.2024 को विद्युत विभाग मे रू0 20,000.00 जमा कराएं। परिवादी विद्युत बिल सही करवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग की ओर से कागज स0–8 (मय संलग्नक कागज स0–9 ता 12) व कागज स0– 17,18, (मय संलग्नक कागज स0–19 ता 22) एवं कागज स0– 24 (मय सलग्नक कागज स0–25,26,27) प्रस्तुत कर अन्तिम रुप से कथन किया कि श्रीमती रहीसा विद्युत संयोजन संख्या JW30743113231 के परिसर पर भूलवश परिवर्तित मीटर स0–84615693 के स्थान पर परिसर पर स्थापित वास्तविक मीटर स0–81618535 की प्रविष्टि कर दी गई है जिसके पश्चात् उपभोक्ता का बिल नये मीटर (न0–81618535) की रिडिंग के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।

–:विवेचना:–

उभय पक्ष उपस्थित। सुना गया। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा परिवादी का विद्युत बिल सही कर दिया है। परिवादी की ओर से किये गये उक्त संशोधन पर सन्तुष्टि व्यक्त की गई। तदोनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

क्रमशः.........2

—:आदेश:—

परिवादी के परिवादपत्र का विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत बिल संशोधित कर शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी की ओर से किये गये उक्त संशोधन पर सन्तुष्टि व्यक्त की गई। तदोनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	27/6/24 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 72 / 2024

परिवादी :– श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री राजवीर सिंह, ग्राम–निरंजनपुर, तहसील–लक्सर, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम आदेश दिनांक 27.06.2024

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री राजवीर सिंह, ग्राम–निरंजनपुर, तहसील–लक्सर, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या LK11433924105 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उसकी पैतृक सम्पत्ति संख्या 0021 पर ग्राम निरंजनपुर के ही निवासी आदित्यवीर पुत्र परमवीर व परमवीर दत्तक पुत्र श्रीराम कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए है। जिसमे विद्युत उपखण्ड रायसी का अवर अभियन्ता मनोज कुमार व विद्युत उपखण्ड रायसी का एक निजी कर्मचारी सुरेश वर्मा षडयंत्र के तहत अपने विभागीय अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्तियों का निजी रूप से साथ दे रहे है। यह कि विद्युत उपखण्ड अधिकारी रायसी द्वारा हमारे घर पर जिसकी सम्पत्ति संख्या 00201 है माह दिसम्बर 2022 में ग्राम निरंजनपुर निवासी आदित्यवीर पुत्र परमवीर व परमवीर दत्तक पुत्र श्रीराम के साथ मिलिभगत से सुनिता पत्नी परमवीर को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया जबकि वहाँ पहले से उसके ससुर स्व0 श्री रघुवीर सिंह के नाम पर कनेक्शन मौजूद था। जब उसका बेटा विशाल सैनी अपने पैतृक घर पहुँचा तो उसने वहाँ विभागीय कर्मचारियों को देखा। उसको वहा देख कर विभागीय कार्मचारी वहाँ से चले गये। जब उसके पुत्र ने विभाग से इस बात की जानकारी चाही तब विद्युत विभाग के उपखण्ड अधिकारी रायसी के कर्मचारियों ने बताया कि विभाग द्वारा सुनिता पत्नी परमवीर को उनके परिसर पर कनेक्शन दे दिया गया था इसके पश्चात बिजली विभाग ने स्वयं उस कनेक्शन को निरस्त कर दिया। प्रार्थिनी के पति श्री राजवीर पुत्र श्री रघुवीर सिंह द्वारा उसके नये घर (सम्पत्ति संख्या 00769) के लिए विद्युत कनेक्शन 02 कि0वा0 हेतु आवेदन किया था जोकि दिनांक 04.04.2023 को रजिस्टर्ड हुआ था। जिसका रेफरेन्स नं0 210404230608 है, विभाग द्वारा उसके पुत्र को 15–20 चक्कर कटवाने के पष्चात् यह कहा कि उसका आवेदन भुगतान के अभाव में निरस्त किया गया है जबकि भुगतान सम्बन्धित कोई भी सूचना आवेदनकर्ता को प्राप्त नहीं हुई आवेदन निरस्त होने के पष्चात् उसके पुत्र विशाल को दोबारा आवेदन हेतु कहा गया व कनेक्शन हेतु आष्वस्त किया गया। यह कि उसके पति श्री राजवीर पुत्र श्री रघुवीर सिंह द्वारा पुनः 25.05.2023 को विद्युत उपखण्ड रायसी मे 02 कि0वा0 घरेलू कनेक्शन सम्पत्ति संख्या 00769 हेतु आवेदन किया जिसका रेफरेन्स नं0 212505232868 है को अवर अभियन्ता द्वारा सम्पत्ति विवादित बताते हुए निरस्त कर दिया गया जबकि प्रार्थिया के पति श्री राजवीर पुत्र श्री रघुवीर सिंह की

क्रमशः.......02

किसी भी सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद किसी भी माननीय न्यायालय में लम्बित नहीं है। यह कि 21.11.2023 को उसके द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन 02 कि0वा0 सम्पत्ति संख्या 00769 हेतू सम्पत्ति के कागजात के साथ आवेदन किया जिसका रेफरेन्स नं0 212111231696 हैं अवर अभियन्ता द्वारा मौके का निरीक्षण कर आगे बढ़ाया तब उपविभागीय अधिकारी विद्युत उपखण्ड रायसी श्री विवेक-गुप्ता द्वारा LNo Contact on 9858835188 at 8:26 Evening का कारण देकर पुनः कनेक्शन को निरस्त कर दिया गया जबकि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन के समय दिया गया नम्बर 9758835188 था। यह कि उसका बेटा विशाल सैनी जब विद्युत उपखण्ड रायसी में अवर अभियन्ता मनोज कुमार से मिला

तो अवर अभियन्ता मनोज कुमार द्वारा मेरे बेटे को अपने प्रभाव में लेकर विद्युत कनेक्शन करने की बात कही जिसके ऐवज में अवर अभियन्ता मनोज कुमार द्वारा उसके बेटे विशाल सैनी से 20,000.00 रू0 देने की बात कहीं लगभग 8 महीने तक अपने मौलिक अधिकारों से वंचित व विद्युत उपखण्ड रायसी द्वारा दी गयी मानसिक प्रताडना से त्रस्त होकर उसके बेटे विशाल सैनी ने अवर अभियन्ता मनोज कुमार को 20,000.00 रू0 दे दिये व जल्द से जल्द कनेक्शन करने की बात कही। यहकि 27.12.2023 को उसके द्वारा विद्युत उपखण्ड रायसी में पुनः आवेदन किया जिसको विद्युत विभाग द्वारा 14.01.2024 तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया। जब उसके बेटे विशाल सैनी ने अवर अभियन्ता से इसी समयान्तराल में कनेक्शन में देरी का कारण पूछा तो अवर अभियन्ता ने उसके बेटे को गुमराह करते हुए कहा कि उनका कनेक्शन जल्दी ही कर दिया जायेगा तब तक असुविधा से बचने के लिए आपके दूसरे घर सम्पत्ति सं0 201 का मीटर उसके नये घर सम्पत्ति सं0 00769 पर लगवा देते है और जब उनका कनेक्शन हो जायेगा तो वापस उसको इसी के स्थान सम्पत्ति सं0 201 पर लगा देंगे। उसके बेटे को अवर अभियन्ता मनोज कुमार का षडंयत्र समझ नही आया व उसके बेटे ने बिजली की आवष्यकता को देखते हुए अवर अभियन्ता को सहमति प्रदान कर दी तब अवर अभियन्ता ने विद्युत उपखण्ड रायसी में कार्यरत लाइनमैन सुरेश वर्मा को भेजकर उसके ससुर के नाम से रजिस्टर्ड मीटर को सम्पत्ति सं0 00201 से हटाकर उसके नये परिसर सम्पत्ति सं0 00769 पर लगा दिया। यह कि विद्युत उपखण्ड रायसी द्वारा उसके कनेक्शन आवेदन को दिनांक 15.01.2024 को रजिस्टर्ड किया तथा 29.01.2024 को उसके बेटे द्वारा नये कनेक्शन का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर ली बिजली विभाग द्वारा परिसर 00769 पर नया मीटर लगा दिया मीटर लगाने के बाद सिलिंग रिपोर्ट नहीं दी गई उसके बेटे विशाल सैनी ने जब पुराने मीटर को वापस भेजने की बात अवर अभियन्ता मनोज कुमार से की तो मनोज कुमार ने 2—4 दिन बोलकर बात को इधर उधर कर दिया। यह कि काफी दिनों के पष्चात उसके बेटे की बात अवर अभियन्ता ने सुनी तथा अपने विभाग का लाइनमैन सुरेश वर्मा को भेजकर उस पुराने मीटर को वापस उसी घर सम्पत्ति सं0 00201 पर लगवा दिया। यह कि वह व उसका बेटा अवर अभियन्ता मनोज कुमार के षडयंत्र से अनभिज्ञ थे जिसमें अवर अभियन्ता ने षडयंत्र के तहत किसी समय उस बदले हुए मीटर की विडियो बनाई व उसके बेटे से पुनः 20,000.00 रू0 की उगाही करने लगा व बोलने लगा कि "तुम विद्युत विभागीय कार्यवाही को नही जानते, मैं तुम्हें उलझा दूंगा तुम्हें झूठे मुकदमें में फंसा दूंगा।" यह कि उसके पुत्र द्वारा दिनांक 24.04.2024 को विद्युत उपखण्ड रायसी के शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज करायी तथा उपविभागीय अधिकारी विवेक गुप्ता को भी इस सम्बन्ध में मौखिक व पत्र के माध्यम से सूचित किया शिकायत के पष्चात् भी विभाग द्वारा शाम तक लाइन चालू करने का आष्वासन दिया गया किन्तु कार्यवाही नहीं की गयी। यह कि प्रार्थिनी व उसके परिवार को बिना किसी ठोस कारण व बिना किसी बकाया बिल के पष्चात भी उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उसको व उसके परिवार को दिनांक 23.04.2024 से बिना बिजली

क्रमशः.......03

के भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। अतः उसने मंच से उसका संयोजन पुनः जोड़ने एवं विद्युत उपखण्ड रायसी के अवर अभियन्ता मनोज कुमार व निजी कर्मचारी सुरेश वर्मा पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। परिवादी की ओर से परिवाद पत्र कागज स0—1 ता 3 (मय संलग्नक कागज स0—4 ता 16) प्रस्तुत किये गये। तथा प्रतिवाद पत्र कागज स0—20 ता 22 प्रस्तुत किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 168 दिनांकित 01.05.2024 (कागज स0—18) के द्वारा मंच को अवगत कराया कि उपभोक्ता के परिसर पर काटे गये उक्त कनेक्शन को पुनः संयोजित कर दिया गया है।

—:विवेचना:—

उभय पक्ष उपस्थित। सुना गया। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया है। परिवादी की ओर से सन्तुष्टि व्यक्त की गई। तदोनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

—:आदेश:—

परिवादी की शिकायत का विपक्षी विभाग द्वारा समाधान कर दिया गया है। परिवादी की ओर से सन्तुष्टि व्यक्त की गई। तदोनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल) 27/6/24
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 74 / 2024

परिवादी :– श्री सलीम अहमद पुत्र श्री नसीर अहमद, निवासी–ग्राम–गढ़मीरपुर, पो0–खास, बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक 27.06.2024

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सलीम अहमद पुत्र श्री नसीर अहमद, निवासी–ग्राम–गढ़मीरपुर, पो0–खास, बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 682DP02044532 विद्युत भार 01 कि0वा0 के सन्दर्भ में कागज स0–1 मय संलग्नक कागज स0–2,3 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त संयोजन का बिल गलत आने के कारण जमा नही हो पाया था क्योकि गलत बिल आया था वह उसको जमा करने मे असमर्थ था। वर्तमान में परिवादी का पिछले एक वर्ष से कनेक्शन भी कटा हुआ है। परिवादी ने मंच से उसका बिल सही करके बनवाने का अनुरोध किया है। जिससे वह अपना सही बिल जमा कर सके।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 2014 दिनांकित 07.05.2024 (कागज स0–5 मय संलग्नक कागज स0–6 ता 9) द्वारा मंच को अवगत कराया कि उपभोक्ता का पूर्व में विद्युत बकाया होने के कारण दिनांक 25.12.2020 को अस्थायी विद्युत विच्छेदन विभाग द्वारा किया गया, जिसका स्थायी विद्युत विच्छेदन को विभागीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुए धनराशि रू0 72,773.00 पर करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 1570 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा खण्ड कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया था। जिसके उपरान्त स्थायी विच्छेदन प्रक्रिया के फलस्वरूप खण्ड कार्यालय के द्वारा संयोजन सं0 682DP02044532 की ब्याज सहित शेष बकाया धनराशि रू0 74301.00 का भुगतान किया जाना है।

–:विवेचना:–

मंच के समक्ष उभय पक्ष उपस्थित आये। पक्षकारो को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा पी.डी. के उपरांत परिवादी का विद्युत बिल सही कर दिया है तथा संशोधित किये जाने के उपरान्त वर्तमान मे परिवादी की ओर बकाया देय धनराशि रू0 74,301.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। उक्त संशोधन पर परिवादी द्वारा सन्तुष्टि व्यक्त की गई। तदोनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

क्रमशः...........02

–:आदेशः–

परिवादी के परिवाद का समाधान विपक्षी द्वारा कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के कनेक्शन को पी.डी. करने के उपरांत परिवादी की ओर बकाया धनराशि संशोधित कर शिकायत का समाधान कर दिया गया है। संशोधन किये जाने के उपरान्त वर्तमान मे परिवादी की ओर बकाया देय धनराशि रू0 74301.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा विपक्षी को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। उक्त संशोधन पर परिवादी द्वारा सन्तुष्टि व्यक्त की गई। तदोनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 75 / 2024

परिवादी :– श्री बाबूराम, ग्राम–कुमराडी, मखदूमपुर, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम | आदेश दिनांक : 29.06.2024

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री बाबूराम, ग्राम–कुमराडी, मखदूमपुर, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD900L1710786 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका कुछ समय से बिल बहुत ज्यादा आ रहा है जिसका कारण मीटर खराब होना है। अतः मंच से अनुराध है कि उनका मीटर बदलवाने हेतु संबंधित को आदेशित कर दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.04.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय झबरेड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री बाबूराम स्वयं उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर सुनवाई के समय विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने परिवादी की उक्त समस्या को सही बताते हुए समस्या के निराकरण के लिए मंच से समय की मांग की गई। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2671 दिनांकित 05.06.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी900एल1710786 श्री बाबूराम के नाम पर निजी नलकूप के उपयोग हेतु 05 एचपी भार पर दिनांक 08.01.2008 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि माह 05 / 2024 में परिवादी के उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 9158007 के सापेक्ष नया विद्युत मापक संख्या 9573900 स्थापित किया गया। वर्तमान में आरएपीडीआरपी प्रणाली के तहत निजी नलकूप पोर्टल बन्द होने के कारण उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 9158007 की रीडिंग के औसत आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन संख्या का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 934.51 धनराशि बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह नलकूप विद्युत संयोजन 05 एचपी भार पर दिनांक 08.01.2008 को निर्गत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 12.01.2010 से दिनांक 18.12.2012 तक एवं दिनांक 13.02.2013 से दिनांक 31.12.2017 तक एनआर आधार पर तथा दिनांक 21.06.2018 से दिनांक 08.02.2023 तक आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 12.01.2010 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य, 77 बिलिंग चक्रों के लिए अनंतिम बिल जारी किए गए हैं जो कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अध्याय 5.2.1 (7) में दिए गए प्राविधानों का खुला उल्लंघन है। विपक्षी विभाग को उक्त विषय पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित दोषपूर्ण मीटर संख्या—9158007 को नये मीटर संख्या—9573900 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है तथा परिवादी को एनआर / आईडीएफ आधार पर जारी बिलों को मीटर संख्या—9158007 पर दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी की शिकायत का समाधान हेतु की गई कार्यवाही से परिवादी द्वारा अपनी संतुष्टि / सहमति व्यक्त की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी की शिकायत का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

		29/06/2024
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 77 / 2024

परिवादी :– श्री सुशील कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह, ग्राम–भगतोवाली, पोस्ट–झबरेड़ा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक : 29.06.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सुशील कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह, ग्राम–भगतोवाली, पोस्ट–झबरेड़ा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD1J411160517 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन घरेलू उपयोग के लिए कुल 02 किलोवाट भार में लिया गया है जो कि त्रुटिवश 20 किलोवाट भार में दर्शा रहा है जिस कारण से उनका बिल बहुत अधिक आ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके अभिलेखों से उक्त त्रुटि को सही कराते हुए उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.04.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय झबरेड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री सुशील कुमार स्वयं उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर सुनवाई के समय विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने परिवादी की उक्त समस्या के निराकरण के लिए मंच से समय की मांग की गई। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2672 दिनांकित 05.06.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएडीपीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी1जे411160517 श्री सुशील कुमार पुत्र श्री पूरण सिंह के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 किलोवाट भार में दिनांक 06.07.2019 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी झबरेड़ा ने बताया कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू467900 की एमआरआई न होने के कारण मापक में दर्शित रीडिंग 8993 केडब्ल्यूएच के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 9059.00 की धनराशि बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट विद्युत भार पर दिनांक 06.07.2019 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 23.05.2024 तक लगातार एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा दिनांक 11.03.2024 को जारी विद्युत बिल में उल्लेखित बिल विवरण के अंतर्गत कम संख्या—4 पर दर्ज Fixed/demand charges for excess load के सापेकक्ष चार्ज की गई धनराशि रू0 3492.20 को नियम विरूद्ध बताते हुए विवादित ठहराया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के विद्युत बिल को मापक पर दर्ज मीटर रीडिंग 8993 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित कर दिया गया है जबकि प्रश्नगत बिल के संशोधन हेतु मीटर रीडिंग का आधार लिया जाना तर्कहीन प्रतीत होता है। माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2023—24 हेतु अनुमोदित विद्युत दरों के आधार पर उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमि0 द्वारा जारी रेट शिड्यूल में उल्लेखित General condition of supply के अनुसार excess load/demand panalty, घरेलू विधा में स्वीकृत संयोजनों के लिए लागू नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी बिल दिनांक 11.03.2024 में दर्शायी गई Fixed/demand charges for excess load मद में चार्ज की गई धनराशि रू0 3492.20, नियम विरूद्ध है। अतः उपरोक्त नियम विरूद्ध आरोपित की गई धनराशि निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 11.03.2024 में दर्शायी गई Fixed/demand charges for excess load मद में चार्ज की गई धनराशि रू0 3492.20 को निरस्त करते हुए विलंब अधिभार शुल्करहित संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	29/06/2024 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 79 / 2024

परिवादी :– श्री संजीव कुमार पुत्र श्री महेन्द्र, ग्राम व पोस्ट–इकबालपुर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेष दिनांक 27.06.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री महेन्द्र, ग्राम–इकबालपुर, पोस्ट–इकबालपुर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD1E113097888 के सन्दर्भ में कागज स0–1 मय संलग्नक कागज स0–2 ता 5 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसका बिल काफी समय से बहुत अधिक आ रहा है उसके द्वारा 1912 पर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी जिस कारण उसके परिसर पर चैक मीटर लगाया गया था। चैक मीटर लगाने के पष्चात चैक मीटर 0.0 प्रतिशत तेज पाया गया। जिससे वह सन्तुष्ट नही है और पिछले तीन माह से उसका बिल भी नही आ रहा है। अतः उसने मंच से उसका बिल सही करवाने का अनुरोध किया है।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.04.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय झबरेड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री देव चौधरी उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर सुनवाई के समय विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने परिवादी की उक्त समस्या के निराकरण के लिए मंच से समय की मांग की मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2482 दिनांकित 21.05.2024 (कागज स0–6 मय सलग्नक कागज स0–7 ता 13) द्वारा मंच को अवगत कराया कि आर.ए.पी.डी.आर.पी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या RD1E113097888 श्री संजीव कुमार, ग्राम इकबालपुर के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि0वा0 दिनांक 20.10.2012 को निर्गत किया गया था। उक्त संयोजन संख्या के सम्बन्ध मे सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, झबरेडा द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मापक संख्या जी101089 की एमआरआई रिपोर्ट

क्रमशः........02

के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन संख्या RD1E113097888 का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 (—)1,673.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के बीजक मे समायोजित कर दिया जायेगा।

—:विवेचना:—

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित रहा। विपक्षी उपस्थित आये। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा परिवादी का विद्युत बिल जॉच उपरांत सही कर दिया है तथा बिल संशोधित किये जाने के उपरान्त वर्तमान मे रू0 (—)1673.00 धनराशि है, जोकि विपक्षी द्वारा परिवादी को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। विपक्षी उक्त धनराशि को आगामी अवधि के विद्युत बिलो मे समायोजित करेगा। परिवादी की ओर से उक्त संशोधन पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। तदोनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

आदेश

परिवादी की शिकायत का विपक्षी विभाग द्वारा विद्युत बिल संशोधित कर समाधान कर दिया गया है। बिल संशोधित किये जाने के उपरान्त वर्तमान मे रू0 (—)1673.00 धनराशि विभाग की ओर बकाया है। विपक्षी उक्त धनराशि को आगामी अवधि के विद्युत बिलो मे समायोजित करेगा। परिवादी की ओर से उक्त संशोधन पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। तदोनुसार परिवाद का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

27/6/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 83 / 2024

परिवादी :– श्रीमती समीम, ग्राम–कुमराड़ी, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम

आदेश दिनांक : 29.06.2024

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती समीम, ग्राम–कुमराड़ी, पोस्ट–मंगलौर, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD9A191723533 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका मीटर बहुत समय पहले जल चुका था, जिसके पश्चात उनके यहां नया मीटर लगाया गया था। उनके अनुसार जो नया मीटर लगा है उसका बिल सही आ रहा है। कुछ बिल पुराने मीटर आईडीएफ के आधार पर बन कर आए हैं जो कि गलत हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही रीडिंग के अनुसार जारी करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.04.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय झबरेड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री अब्दुल सत्तार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादिनी प्रतिनिधि ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर सुनवाई के समय विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने परिवादिनी की उक्त समस्या के निराकरण के लिए मंच से समय की मांग की गई। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2673 दिनांकित 05.06.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएडीपीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी9ए191723533 श्रीमती समीम के नाम निजी नलकूप के उपयोग हेतु 7.5 एचपी भार में दिनांक 21.01.2018 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि वर्तमान में आरएपीडीआरपी प्रणाली के तहत निजी नलकूप पोर्टल बन्द होने के कारण उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 9153352 की रीडिंग के औसत आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन संख्या का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 19954.19 धनराशि बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। क्रमशः..02

29/06/2024

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 7.5 एचपी विद्युत भार में दिनांक 21.01.2018 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 25.06.2020 तक एमयू आधार पर, दिनांक 30.12.2020 से दिनांक 10.07.2023 तक, आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित दोषपूर्ण मीटर संख्या—328545 को दिनांक 01.06.2023 को मीटर संख्या—9153352 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग के अनुसार परिवादिनी को आईडीएफ आधार पर जारी विद्युत बिलों को परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—9153352 पर दर्ज विद्युत खपत के औसत आधार पर संशोधित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादिनी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	29/06/2024 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 85 / 2024

परिवादी :– श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द, ग्राम–झबरेडा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक : 29.06.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी राकेश कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द, ग्राम–झबरेडा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD6J461017732 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल काफी समय से बहुत ज्यादा आ रहा है। ज्यादा बिल आने का कारण मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग लेकर बिल बनाना है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल वर्तमान रीडिंग के अनुसार सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.04.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय झबरेड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर सुनवाई के समय विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने परिवादी की उक्त समस्या के निराकरण के लिए मंच से समय की मांग की गई। मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2674 दिनांकित 05.06.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया कि आरएडीपीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी6जे461017732 श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द के नाम पर अघरेलू उपयोग हेतु 01 किलोवाट दिनांक 17.04.1983 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सम्बन्ध मे क्षेत्रिय उपखण्ड अधिकारी झबरेड़ा ने बताया कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू800629 की एमआरआई मे दर्शित रीडिंग 332 केडब्ल्यूएच के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 915.00 धनराशि का बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह संयोजन 01 किलोवाट विद्युत भार पर दिनांक 17.04.1983 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.05.2024 तक लगातार एमयू आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। परिवादी द्वारा दिनांक 19.12.2023 तथा दिनांक 11.01.2024 को जारी बिलों में वास्तविक विद्युत खपत से अधिक यूनिट दर्शाये जाने पर अपनी शिकायत दर्ज की गई है। मंच द्वारा विपक्षी विभाग को प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी कम में विपक्षी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा, परिवादी को मीटर में दर्ज वास्तविक विद्युत खपत से अधिक यूनिट के विद्युत बिल जारी किए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के प्रश्नगत विद्युत बिलों को एमआरआई रिपोर्ट पर दर्ज विद्युत खपत/रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है तथा परिवादी द्वारा संशोधित बिल की धनराशि से संतुष्टि/सहमति व्यक्त की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/06/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 87 / 2024

परिवादी :– श्री बुलचन्द, ग्राम–भगतोवाली, पोस्ट–झबरेडा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

आदेश दिनांक 27.06.2024

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री बुलचन्द, ग्राम–भगतोवाली, पोस्ट–झबरेडा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD9J293710599 के सन्दर्भ में कागज स0–1 मय संलग्नक कागज स0–2,3 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसका मीटर खराब होने की वजह से उसके यहाँ नया मीटर लगाया गया, जिसका बिल आई0डी0एफ0 मे आ रहा है। अतः उसने मंच से उसका बिल रीडिंग के अनुसार बनवाने का अनुरोध किया है।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.04.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय झबरेड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री नितिन उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर सुनवाई के समय विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने परिवादी की उक्त समस्या के निराकरण के लिए मंच से समय की मांग की मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2473 दिनांकित 21.05.2024 (कागज स0–4 मय संलग्नक–कागज स0– 5 ता 11) द्वारा मंच को अवगत कराया कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या RD9J293710599 श्री बुलचन्द के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 02 कि0वा0 दिनांक 22.02.2014 को निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन संख्या RD9J293710599 के सम्बन्ध मे माननीय मंच अवगत कराना है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 9140927 की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर बीजक को पूर्व मे ही संशोधित कर दिया गया था। बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 22,389.00 धनराशि है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

–:विवेचना:–

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित, विपक्षी उपस्थित। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

क्रमशः..........2

विपक्षी को सुना गया। विपक्षी ने कथन किया है कि उसके द्वारा परिवादी का विद्युत बिल पुर्व में ही एम.आर.आई. रिपोर्ट के आधर पर सही किया जा चुका है तथा वर्तमान मे विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 22389.00 धनराशि का है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। मंच द्वारा पत्रावली के अवलोकन व परीक्षण मे कोई त्रुटि नही पाई गई। उक्त स्थिति में परिवादी के परिवाद मे कोई बल प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

27/6/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 88 / 2024

परिवादी :– श्री आशीष कुमार, ग्राम–झबरेडा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक : 29.06.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री आशीष कुमार, ग्राम–झबरेडा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD9J291722799 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल सही नहीं आ रहा है। उनकी वर्तमान रीडिंग 35613 के0डब्ल्यू0एच0 है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल उनकी वर्तमान रीडिंग 35613 के0डब्ल्यू0एच0 के अनुसार बनवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.04.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय झबरेड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री यशपाल उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर सुनवाई के समय विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने परिवादी की उक्त समस्या के निराकरण के लिए मंच से समय की मांग की मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2675 दिनांकित 05.06.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया कि आरएडीपीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी9ज291722799 श्री आशीष कुमार पुत्र श्री दाताराम के नाम पर निजी नलकूप के उपयोग हेतु 7.5 एचपी दिनांक 08.01.2018 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 9140984 के सापेक्ष नया विद्युत मापक संख्या 9156565 स्थापित किया गया। वर्तमान में आरएपीडीआरपी प्रणाली के तहत निजी नलकूप पोर्टल बन्द होने के कारण उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 9158007 की रीडिंग के औसत आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 143504.00 धनराशि का बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 7.50 एचपी विद्युत भार पर दिनांक 08.01.2016 से गतिमान है। पत्रावली में उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार मीटर संख्या—8787027, दिनांक 08.01.2016 से दिनांक 20.05.2022 तक गतिमान रहा है तथा दिनांक 18.01.2022 को उक्त मीटर पर 18795 केडब्लूएच मीटर रीडिंग दर्ज पाई गई है। इस प्रकार उक्त मीटर पर दिनांक 08.01.2016 से दिनांक 18.01.2022 तक लगभग 72 माह की अवधि में औसतन 261 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार उक्त मीटर के दोषपूर्ण हो जाने की अवस्था में दिनांक 18.01.2022 से दिनांक 20.05.2022 तक 04 माह की अवधि हेतु लगभग (261×4) 1044 यूनिट का निर्धारण किया जाना उचित होगा। उक्त मीटर संख्या—8787027 के दोषपूर्ण हो जाने के उपरांत दिनांक 20.05.2022 को मीटर संख्या—9140984 से प्रतिस्थापित किया गया है जो कि दिनांक 25.05.2022 से दिनांक 26.10.2023 तक गतिमान रहा है। उक्त मीटर संख्या—9140984 पर दिनांक 24.06.2023 को मीटर रीडिंग 45787 दर्ज पाई गई। इस प्रकार मीटर संख्या—9140984 द्वारा दिनांक 20.05.2022 से दिनांक 24.06.2023 तक, लगभग 13 माह की अवधि में औसतन 3522 यूनिट प्रतिमाह की दर से कुल 45787 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई है। इस प्रकार मीटर संख्या—9140984 के दोषपूर्ण हो जाने की अवस्था में दिनांक 24.06.2023 से दिनांक 26.10.2023 तक, लगभग 04 माह की अवधि हेतु कुल 14088 (3522×4) यूनिट विद्युत मात्रा का निर्धारण किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में यह उचित होगा कि विपक्षी विभाग, परिवादी को दिनांक 02.07.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 18.01.2022 से दिनांक 20.05.2022 तक की अवधि हेतु कुल 1044 यूनिट (मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर), दिनांक 20.05.2022 से दिनांक 24.06.2023 तक मीटर संख्या—9140984 पर दर्ज विद्युत खपत कुल 45787 यूनिट, दिनांक 24.06.2023 से दिनांक 26.10.2023 तक कुल 14088 यूनिट (मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर) तथा दिनांक 26.10.2023 के पश्चात वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—9156565 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, परिवादी द्वारा उक्त अवधि में जमा की गई विद्युत बिलों की धनराशि का संज्ञान लेते हुए, संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 02.07.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 18.01.2022 से दिनांक 20.05.2022 तक की अवधि हेतु कुल 1044 यूनिट (मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर), दिनांक 20.05.2022 से दिनांक 24.06.2023 तक मीटर संख्या—9140984 पर दर्ज विद्युत खपत कुल 45787 यूनिट, दिनांक 24.06.2023 से दिनांक 26.10.2023 तक कुल 14088 यूनिट (मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर) तथा दिनांक 26.10.2023 के पश्चात वर्तमान में गतिमान मीटर संख्या—9156565 पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर, परिवादी द्वारा उक्त अवधि में जमा की गई विद्युत बिलों की धनराशि का संज्ञान लेते हुए, संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/06/2024

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत),

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com
Phone: 01334-265368

परिवाद सं0 89 / 2024

परिवादी :– श्री मुन्तजिर अली, ग्राम–झबरेडा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

आदेश दिनांक : 29.06.2024

कोरम

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मुन्तजिर अली, ग्राम–झबरेडा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD6J461658668 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल 8 महिने से आईडीएफ में चल रहा है जिस कारण से उनका बिल सही नहीं आ रहा है और इस कारण से वह बिल सही समय पर जमा नहीं कर पा रहे हैं। उनके मीटर की वर्तमान रीडिंग 779 के0डब्ल्यू0एच0 है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.04.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय झबरेड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री मौ0मुसव्वर उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर सुनवाई के समय विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने परिवादी की उक्त समस्या के निराकरण के लिए मंच से समय की मांग की मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2676 दिनांकित 05.06.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएडीपीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी6जे461658668 श्री मुन्तजिर के नाम पर अघरेलू उपयोग हेतु 02 कि0वा0 दिनांक 10.11.2020 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन संख्या के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी झबरेडा ने बताया कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या यू984629 की एमआरआई में दर्शित मीटर रीडिंग के आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 –46.01 धनराशि का बना है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार में दिनांक 10.11.2020 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 18.10.2023 से दिनांक 10.03.2024 तक आईडीएफ आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं जिसे परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। मंच द्वारा विपक्षी विभाग को प्रश्नगत संयोजन पर स्थापित मीटर की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर की एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि परिवादी को आईडीएफ आधार पर जारी विद्युत बिलों को एमआरआई रिपोर्ट पर दर्ज रीडिंग/खपत के आधार पर संशोधित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 91/2024

परिवादी :– श्री शिव कुमार, ग्राम–अबरेडी कला, पोस्ट–झबरेडा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक : 29.06.2024

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शिव कुमार, ग्राम–अबरेडी कला, पोस्ट–झबरेडा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD9A193670902 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिल काफी समय से बहुत ज्यादा आ रहा है। ज्यादा बिल आने के कारण उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.04.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय झबरेड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी श्री शिव कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर सुनवाई के समय विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने परिवादी की उक्त समस्या के निराकरण के लिए मंच से समय की मांग की मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2677 दिनांकित 05.06.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी9ए193670902 श्रीमती शमीम के नाम पर निजि नलकूप के उपयोग हेतु 08 एपी दिनांक 18.06.2003 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है कि वर्तमान मे आरएपीडीआरपी प्रणाली के तहत निजि नलकूप पोर्टल बन्द होने के कारण उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 9152967 की रीडिंग के औसत आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। उक्त विद्युत संयोजन संख्या का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 39,524.76 धनराशि बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 8.00 एचपी विद्युत भार पर दिनांक 18.06.2003 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 16.07.2012 से दिनांक 31.07.2021 तक एनआर/एनए आधार पर, दिनांक 22.12.2021 को एमयू आधार पर, दिनांक 13.07.2022 से दिनांक 08.03.2023 तक आईडीएफ आधार पर तथा दिनांक 03.07.2023 को एमसी आधार पर बिल जारी किए गए हैं जो कि माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अध्याय 5.2.1 (7) में दिए गए प्राविधानों का खुला उल्लंघन है। विपक्षी विभाग को उक्त विषय पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। परिवादी के प्रश्नगत विद्युत संयोजन पर स्थापित दोषपूर्ण मीटर संख्या—108432 को दिनांक 27.04.2023 को मीटर संख्या—9152967 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को पूर्व में अनंतिम आधार पर निर्गत बिलों को मीटर संख्या—9152967 पर दर्ज औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

29/06/2024
(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 98 / 2024

परिवादी :– श्री मेहताब वास्ते खलील अहमद, ग्राम–भुक्कनपुर, पोस्ट–लण्ढौरा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक : 29.06.2024

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मेहताब वास्ते खलील अहमद, ग्राम–भुक्कनपुर, पोस्ट–लण्ढौरा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RD9L196690421 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि लगभग 01 वर्ष पहले 94865.00 रू0 बकाया होने की वजह से कनेक्शन काट दिया गया था। उनका मीटर भी उतार दिया गया था और ट्रांसफार्मर भी। परन्तु वर्तमान में उनका बिल 4 लाख 24 हजार लगभग है। उनका कहना है कि बिन उपयोग किए उनका बिल इतना अधिक कैसे आया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 30.04.2024 को विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण) रूड़की के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड कार्यालय झबरेड़ा में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया है। मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री मेहताब उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी ने मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। मौके पर सुनवाई के समय विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता श्री विनोद कुमार पाण्डेय ने परिवादी की उक्त समस्या के निराकरण के लिए मंच से समय की मांग की मंच द्वारा मौके पर ही विपक्षी विभाग को लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2678 दिनांकित 05.06.2024 द्वारा मंच को अवगत कराया कि आरएपीडीआरपी प्रणाली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विद्युत संयोजन संख्या आरडी9एल196690421 श्री खलील अहमद पुत्र श्री रशीद अहमद के नाम पर निजि नलकूप के उपयोग हेतु 10 एचपी दिनांक 20.02.1996 को निर्गत किया गया था। उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया है कि वर्तमान मे आरएपीडीआरपी प्रणाली के तहत निजि नलकूप पोर्टल बन्द होने के कारण उक्त संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक की रीडिंग के औसत आधार पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। विद्युत संयोजन का बीजक संशोधित किये जाने के उपरान्त रू0 1,76,427.30 धनराशि बकाया है, जोकि उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

क्रमशः......02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 10.00 एचपी विद्युत भार पर दिनांक 20.02.1996 को जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 25.07.2022 तक एमयू आधार पर, दिनांक 08.02.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक आईडीएफ आधार पर बिल जारी किए गए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के प्रश्नगत संयोजन से संबंधित बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी का संयोजन दिनांक 10.01.2024 को विद्युत बिल बकाया के आधार पर विच्छेदित किया गया है। विपक्षी विभाग के अनुसार परिवादी को आईडीएफ आधार पर जारी बिलों को पूर्व में उपलब्ध विद्युत खपत के औसत आधार पर संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादी के विरूद्ध रू0 429105.00 के स्थान पर मात्र रू0 176427.30 की धनराशि बकाया है जिसका कि परिवादी द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान करते हुए रू0 176427.30 धनराशि का संशोधित बिल परिवादी को जारी कर दिया गया है, जिसका कि परिवादी द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	29/06/2024 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 102 / 2024

परिवादी :– श्री शौकत पुत्र श्री मुष्ताक, ग्राम व पोस्ट–बहादरपुर जट्ट, थाना–पथरी, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर,हरिद्वार।

कोरम आदेश दिनांक 27.06.2024

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शौकत पुत्र श्री मुष्ताक, ग्राम व पोस्ट–बहादरपुर जट्ट, थाना–पथरी, हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या JW21428140649 के सन्दर्भ में (कागज स0–1 मय संलग्नक 2 ता 7) प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त कनेक्शन घरेलू है। वह पूर्व से ही उसके विद्युत कनेक्शन का विद्युत बिल सही समय पर जमा करता चला आ रहा है। लेकिन फिर भी उसका विद्युत बिल 94,729.00 रू0 का पैनल्टी लगाकर भेजा गया है। जोकि व्यर्थ में भेजा गया है। उसका कोई दोष नहीं है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वह एक गरीब व्यक्ति होने के बावजूद सही समय पर उसका बिल जमा करता आ रहा है। अतः उसने मंच से उसका बिल सही करवाने का अनुरोध किया है।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2085 दिनांकित 20.05.2024(कागज स0–9 मय सलग्नक कागज स0– 10 ता 18) द्वारा मंच को अवगत कराया कि श्री शौकत के परिसर पर सतर्कता दल द्वारा दिनांक 20.03.2024 को की गयी विद्युत चैकिंग में उपभोक्ता द्वारा विद्युत मापक से पूर्व इनकमिंग केबिल मे कट लगाकर एक अतिरिक्त केबिल जोडकर 2.523 किलो वॉट की विद्युत चोरी करता पाया गया था। जिसकी चैकिंग रिपोर्ट संख्या 33059 दिनांक 20.03.2024 है। तथा श्री शौकत पुत्र श्री मुष्ताक को चैकिंग के विरूद्ध धन निर्धारण की बाबत एक पत्र पत्रांक 1254 दिनांक 22.03.2024 प्रेषित किया गया था तथा श्री शौकत पुत्र मुष्ताक को अवगत कराया गया था कि भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 व उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (द सप्लाई कोड) रेगूलेशन के अन्तर्गत विद्युत निर्धारण 94729.00 रू0 प्रस्तावित है तथा श्री शौकत को यह भी अवगत कराया गया था कि यदि श्री शौकत उक्त चैकिंग के विरूद्ध धन निर्धारण के विरूद्ध कोई अपील की जानी है तो अपील की सुनवाई हेतु माननीय जिलाधिकारी प्राधिकृत अधिकारी है जिनके यहां पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अन्तर्गत अपील की जा सकती है। महोदय यह भी अवगत कराना है कि कर निर्धारण पर यदि कोई आपत्ति होती है तो उसकी अपील माननीय जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के यहां किये जाने का प्रावधान भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 का अन्तर्गत बना हुआ है। तथा माननीय मंच को यह भी अवगत कराना है कि धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय जिला जज महोदय के पास है इसलिये उक्त प्रकरण पर कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार भी माननीय मंच के पास नही है।

क्रमशः..........2

वाद सं0–102 / 2024
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

–:विवेचनाः–

मंच के समक्ष उभय उपस्थित। मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी व विपक्षी को सुना गया। विपक्षी ने कथन किया है कि परिवादी का परिवाद विद्युत चोरी का वाद है जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार मंच को प्राप्त नही है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश अधिसूचना दिनांकित 22.1.2019 के प्रावधान अध्याय 3.1(4) के अन्तर्गत व्यवस्था दी गई है कि " फोरम अधिनियम के खण्ड 126,127,135 से 140 व 166 के अन्तर्गत आने वाली शिकायतो पर तथा बकाया भुगतान की वसूली के उन मामलो पर विचार नही करेगा जिनमें बिल की राशि पर विवाद नही है।" परिवादी का परिवाद विद्युत चोरी से सम्बंधित वाद है जिसमे विभाग द्वारा उसे धारा 126 के अन्तर्गत नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अर्थात परिवाद के तथ्य मंच के क्षेत्राधिकार में विचारणीय नही है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद मंच के क्षेत्राधिकार मे न होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद मंच के क्षेत्राधिकार में पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।